



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1937 (श०)

(सं० पटना १८०) पटना, बृहस्पतिवार, २७ अगस्त २०१५

okf.kT; &dj foHkkx

Vf/kI puk, a
26 अगस्त 2015

एस० ओ० १९९ दिनांक २७ अगस्त २०१५—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, २००५ (२००५ का अधिनियम २७) की धारा—१४ की उप—धारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उक्त अधिनियम, २००५ की अनुसूची— V में, इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से, निम्नलिखित क्रमांक १३७ (धारा—१७ देखें) क्रमांक १३६ के बाद जोड़ते हैं :—

"१३७ बोरलॉग इन्स्टिच्यूट फॉर साउथ एशिया (बी०आई०एस०ए०)"

[(सं०सं० बिक्री—कर / विविध—४६ / २०१५—४७०३)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

26 अगस्त 2015

एस०ओ० २०० एस०ओ० १९९ दिनांक २७ अगस्त २०१५ का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री—कर / विविध—४६ / २०१५—४७०४)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 26th AUGUST 2015

S.O. 199 dated 27th August 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to add the following S.N. 137 after S.N. 136 of schedule V (of section 17) of the said Act, 2005 with effect from the date of its issuance —

“137 Borlaug Institute for South Asia (BISA)”

[File No. Bikri kar/Vividh-46/2015-**4703**)]

By order of the Governor of Bihar,

Sujata Chaturvedi,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 970-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>